अध्याय- III

लेन-देन की लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों एवं उनके क्षेत्र निर्माण के लेन-देन लेखापरीक्षा में गबन, दुर्विनियोजन, संसाधनों के प्रबंधन में त्रुटियों और नियमन, औचित्य एवं मितव्ययिता के नियमों के पालन में हुई विफलता के बहुत से उदाहरण पाये गये। इनको अनुवर्त्ती कंडिकाओं के अन्तर्गत विस्तृत उद्देश्य शीर्ष में प्रस्तुत किया गया है।

3.1 गबन/दुर्विनियोग/धोखाधड़ी

ग्रामीण विकास विभाग

3.1.1 सरकारी राशि का गबन

संहितीय प्रावधानों के उल्लघंन के कारण ₹ 10.37 लाख का गबन।

झारखण्ड कोषागार संहिता (भाग-1) के नियम 86 (ii),(iii),(iv) एवं (v) में प्रदत्त है कि सभी मुद्रा संबंधी लेन-देनों को, जैसे ही वे घटित हो, रोकड़ पंजी में शीघ्रातिशीघ्र इंद्राज एवं कार्यालय के प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना चाहिए। रोकड़ पंजी को प्रत्येक दिन संतुलित, बंद एवं आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी द्वारा जाँच किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, डीडीओ द्वारा प्रत्येक महीने के अंत में रोकड़ अधिशेष का भौतिक सत्यापन किया जाना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि रोकड़ पंजी में दिखाया गया अधिशेष भौतिक शेष से मेल खाता है। उपायुक्त राँची द्वारा जारी आदेश (फरवरी 2008) के अनुसार महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परियोजना से संबंधित निधि पंचायत सेवक/ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता (वीएलडब्लू) और रोजगार सेवक के संयुक्त हस्ताक्षर के अंतर्गत बैंक से आहरित किया जाना था।

प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), तमाड़, राँची के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2010) से पता चला कि मनरेगा की ₹ 10.37 लाख की राशि वीएलडब्लू, लुन्गटु पंचायत (तमाड़, राँची) द्वारा बैंक (पंजाब नेशनल बैंक, परासी शाखा खाता सं0 2844000100023000) से (फरवरी 2009 और अप्रैल, 2010) नियमित रूप से आहरित किया गया था क्योंकि आहरणों की अवधि के दौरान कथित पंचायत में कोई रोजगार सेवक पदस्थापित नहीं था। अतिरिक्त में, राशि को सरकारी खाता से बाहर रखा गया क्योंकि वीएलडब्लू द्वारा कोई रोकड़ पंजी संधारित नहीं किया गया था।

इसे इंगित किये जाने पर, बीडीओ, तमाड़ द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया और बताया गया (सितम्बर 2010 और जून 2011) कि बैंक को निर्देश जारी किया गया था कि मनरेगा से संबंधित निधि संयुक्त हस्ताक्षर के अंतर्गत आहरित की जायगी। बीडीओ द्वारा आगे बताया गया कि वीएलडब्लू द्वारा रोजगार सेवक के नकली हस्ताक्षर करके राशि को आहरित किया गया था एवं उक्त अवधि के लिए उसके द्वारा कोई रोकड़ पंजी संधारित नहीं किया गया था।

अतः उस समय के वीएलडब्लू/बीडीओ द्वारा डीसी के आदेशों एवं संहितीय प्रावधानों के अनुपालन नहीं किये जाने तथा वीएलडब्लू से रोकड़ पंजी संधारित करवाना, सुनिश्चित

नहीं किये जाने के कारण बीडीओ द्वारा अनुश्रवण के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 10.37 लाख की सरकारी राशि का गबन हुआ।

सरकार लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते (नवम्बर 2011) हुए कहा कि संबंधित वीएलडब्लू को निलंबित (मई 2011) कर दिया गया था एवं उसके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी।

पथ निर्माण विभाग

3.1.2 सरकारी धन का दुर्विनियोजन

संवेदक द्वारा अलकतरा के कीमत के संदर्भ में जाली बीजकों को जमा करने के परिणामस्वरूप ₹ 98.11 लाख के दुर्विनियोजन के अलावे ₹ 5.23 करोड़ के निम्न स्तर का पथ कार्य ।

सरकारी आदेश[1] दिनांक 21 मार्च, 2001 के अनुसार पथ कार्य में शामिल संवेदकों द्वारा सरकारी तेल कंपनियों से सीधे तौर पर अलकतरा का उठाव करना था। कार्यों के आवंटन पर,संबंधित प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं (का.अभि.) द्वारा तेल कंपनियों को प्राधिकार पत्रों को निर्गत करना था जिसमें संवेदकों का नाम, कार्य का नाम, आवश्यक मात्रा एवं अलकतरा की गुणवत्ता विनिर्देश करना था। तेल कंपनियों द्वारा प्राधिकार पत्र के विरूद्ध ही संवेदक को अलकतरा बेचनी थी एवं कार्य आवंटित करने वाले संबंधित प्रमंडल को सूचना देनी थी। संवेदकों को भी अलकतरा प्राप्ति के बारे में 48 घंटे के अन्दर प्राप्ति की सूचना कार्यपालक अभियंताओं को दे देनी थी एवं खरीद के विरूद्ध तेल कंपनियों से अलकतरा के उठाव के संदर्भ में निर्गत बीजकों को समर्पित करना था। कार्यस्थल पर अलकतरा लाने के पश्चात्, कार्यपालक अभियंताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि जैसे कनीय अभियंताओं (क.अ.)/सहायक अभियंताओं (स.अ.) द्वारा बीजक या विभाग द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र में दर्ज अलकतरा की मात्रा, गुण एवं विशिष्टियों की भौतिक जाँच करना था।

सचिव, पथ निर्माण विभाग, राँची के प्रशासनिक अनुमोदन (सितम्बर 2002) के आधार पर, का.अभि., पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.), देवघर ने ₹ 8.96 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति के विरूद्ध ₹ 7.27 करोड़ की कुल लागत पर बरटांड़.-जरमुन्डी पथ (32.85 कि.मी.) के चौड़ीकरण और सशक्तीकरण के लिए एक संवेदक के साथ अनुबंध क्रियान्वित (जुलाई 2003) किया। कार्य को पूर्ण करने का नियत समय अप्रैल 2004 था जिसे मार्च 2005 तक अवधि विस्तार दिया गया था।

का.अभि., प.नि.प्र., देवघर के अभिलेखों की संवीक्षा(जनवरी 2011) से ज्ञात हुआ कि संवेदक को कार्य करने के विरूद्ध ₹ 5.23 करोड़ का भुगतान (मार्च 2007) किया गया और इस कार्य में 1764.14 एम.टी. अलकतरा के प्राक्कलित मात्रा के विरूद्ध 1675.05 एम.टी. अलकतरा का उपयोग दर्शाया गया। लेखापरीक्षा में अलकतरा बीजकों के सत्यापन में यह देखा कि अलकतरा खरीद के साक्ष्य में संवेदक द्वारा समर्पित 68 बीजकों जो भारतीय

[1] सचिव, लोक निर्माण (पथ एवं भवन) तथा परिवहन विभाग, राँची द्वारा निर्गत पत्र संख्या 718(5) दिनांक 21.03.2001

तेल निगम लिमिटेड (भा.ते.नि.लि.), हल्दीया द्वारा 798.87 एम.टी. अलकतरा के लिए निर्गत किया गया था में से 13 बीजक जिसमें अलकतरा की मात्रा 136.16 एम.टी. कुल लागत ₹ 22.20 लाख थी, भा.ते.नि.लि. से निर्गत थे एवं सही पाया गया। तीन बीजकों की जाँच, उनके अपठनीय रहने के कारण नहीं की जा सकी जिसमें 54.46 एम.टी. अलकतरा मूल्य ₹ 8.95 लाख सन्निहित था। शेष 52 बीजकों जिसमें 608.16 एम.टी. अलकतरा की मात्रा सन्निहित थी एवं जिसकी लागत ₹ 98.11 लाख थी कंपनी द्वारा निर्गत नहीं पाया गया, अतएव जाली ***(परिशिष्ट 3.1)*** था। अलकतरा की मात्रा, गुण विशिष्टियों से संबंधित स.अ./क.अ. द्वारा भौतिक निरीक्षण प्रतिवेदन भी अभिलेख में नहीं पाया गया।

इस प्रकार अधिकारियों के जाँच में ढिलाई करने के फलस्वरूप संवेदक द्वारा जमा किए गए ₹ 98.11 लाख के जाली बीजकों, का अलकतरा (608.16 एम.टी.) जिसे कार्य के उपयोग में दर्शाया गया था का दुर्विनियोजन किया गया। इसके अलावे कुल लागत ₹ 5.23 करोड़ का सड़क निर्माण का घटिया होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता था।

सरकार द्वारा अंकेक्षण आपत्ति स्वीकार (नवम्बर 2011) किया गया एवं कहा गया कि संवेदक को वसूली योग्य राशि जमा करने हेतु निदेशित किया गया था और असफल रहने की स्थिति में उसपर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायगी।

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

3.1.3 धोखाधड़ी एवं निष्फल व्यय

बिना किसी मिट्टी जाँच एवं किसानों को प्रशिक्षण दिये डोलोमाइट के क्रय एवं वितरण के परिणास्वरूप ₹ 48 लाख के धोखाधड़ी के साथ-साथ ₹ 60 लाख का बेकार व्यय।

झारखण्ड कोषागार संहिता खण्ड-I के नियम-300 में नियम है कि कोषागार से कोई राशि तबतक आहरित नहीं किया जाना चाहिए जबतक इसकी तत्काल भुगतान की इसकी आवश्यकता न हो। नियम में यह भी नियत है कि माँग की प्रत्याशा में अग्रिमों का आहरण करने का कोषागार से अनुमत्य नहीं है, चाहे उन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए जिसकी पूर्णता में यथेष्ट समय लगने की सम्भावना हो या विनियोग के व्ययगत होने से बचाव की जरूरत हो।

झारखण्ड सरकार द्वारा 10[2] जिलों के लिए संसाधन प्रबंधन परियोजना[3] (आर.एम.एस.)के अंतर्गत कृषि विभाग को ₹ 1.26 करोड़ स्वीकृत (19 मार्च, 2007) एवं आवंटित (26 मार्च 2007) किया गया। आर.एम.एस. में क्रियाकलापों के दो अवयव सम्मिलित थे जैसे (i) प्रशिक्षण किट के साथ किसानों को प्रशिक्षण देना (₹ 18 लाख) एवं (ii) प्रशिक्षित किसानों के बीच वितरण के लिए डोलोमाईट का क्रय करना (₹ 1.08 करोड़)। 10 जिलों के 0.18 लाख हेक्टेयर में मृदा की अम्लता की उपचार के लिए जरूरतमंद किसानों को डोलोमाइट

[2] चतरा, देवघर,दुमका पूर्वी सिंहभूम, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, साहेबगंज सरायकेला एवं सिमडेगा ।

[3] संसाधन प्रबंधन प्रणाली में मृदा में अम्लता से लड़ने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना, किसानों के पास उपलब्ध भूमि का डाटाबेस बनाना सम्मिलित था।

का वितरण किया जाना था। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची द्वारा यह पुष्टि किया गया (मई 2008) कि मृदा के पीएच वैल्यू को सुनिश्चित करने के लिए मृदा की जाँच परीक्षण आवश्यक था जिससे मृदा में डोलोमाइट मिलाने की मात्रा एवं इसके मिलाने की बारम्बारता को निर्धारित किया जा सके ।

स्वीकृति आदेश के अनुसार, डोलोमाइट के क्रय के लिए उप-निदेशेक (डी.डी.), मृदा संरक्षण शोध और प्रशिक्षण संस्थान (एससीआरटीआई) हजारीबाग, आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी (डी.डी.ओ.) थे जबकि संबद्ध जिला कृषि पदाधिकारी (डी.ए.ओ.) को किसानों के प्रशिक्षण देने के लिए डी.डी.ओ. घोषित किया था। डी.ए.ओ. के कृषि निदेशक एवं कृषि के संयुक्त निदेशकों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अन्तर्गत केवल प्रशिक्षित किसानों के आपूर्ति के लिए प्रशिक्षण किट का क्रय करना था।

कृषि निदेशक, उप निदेशक, एस.सी.आर.टी.आई. एवं संबद्ध डी.ए.ओ. के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2009) एवं उनसे प्राप्त (जुलाई 2011) सूचनाओं से ज्ञात हुआ कि डोलोमाइट क्रय के लिए आवंटित निधि के डी.डी., एस.सी.आर.टी.आई. द्वारा आहरित कर लिया गया (31 मार्च 2007)। इस तथ्य के बावजूद कि डोलोमाइट झारखण्ड खनिज विकास निगम लिमिटेड (जे.एम.डी.सी.)के पास ₹ 880 प्रति एम.टी. के दर पर उपलब्ध था, डी.डी., एस. सी.आर.टी.आई. द्वारा ₹ 1.08 की लागत पर ₹ 4,800 प्रति एम.टी. के दर पर दो फर्मों (नॉर्थ इस्टर्न रिजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, अगरतल्ला एवं नेशनल एग्रीकल्चर कॉपरेटिव मार्केटिंग फेडेरेशन इंडिया लिमिटेड (नेफेड), लुधियाना) से डोलोमाइट का 2,250 एम.टी.मनमाने ढंग से क्रय कर लिया गया (मई और जुलाई 2007 के मध्य)। सम्बद्ध डी.ए.ओ. द्वारा प्रस्तुत किये गये डोलोमाइट के रसीदों के आधार पर भुगतान (जुलाई और अगस्त 2007) किया गया। दूसरे तरफ, आर.एम.एस. के अन्तर्गत प्रशिक्षण किट आपूर्ति एवं क्रय और प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए निधियों का डी.ए.ओ. द्वारा आहरित नहीं किया जा सका क्योंकि आवंटन आदेश के अनुसार निधि को कृषि निदेशक के पक्ष में आवंटित किया गया था। अतः आर.एम.एस. के अन्तर्गत प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका, यद्यपि डोलोमाइट वितरण से पहले यह आवश्यक था।

अतिरिक्त, संवीक्षा एवं डी.ए.ओ. द्वारा जुलाई 2009 और 2011 के मध्य प्रस्ततु किये गये जवाब से पता चला कि आर.एम.एस. के अंतर्गत ₹ 1.08 करोड़ की लागत का 2,250 एम.टी. डोलोमाइट में से छः[4] डी.ए.ओ. द्वारा ₹ 60 लाख मूल्य का 1,250 एम.टी. डोलोमाइट ही प्राप्त किया गया। इन डी.ए.ओ. द्वारा आर.एम.एस. के अंतर्गत बिना किसी प्रशिक्षण दिये तदर्थ आधार पर किसानों को डोलोमाइट वितरित कर दिया गया। यहाँ तक कि मृदा जाँच भी जो डोलोमाइट प्रयोग से पहले आवश्यक था, वितरण से पहले संचालित नहीं किया गया। अतः बिना मृदा जाँच के डोलोमाइट का वितरण अनियमित था।

₹ 48 लाख मूल्य का शेष 1000 एम.टी. डोलोमाइट डी.डी, एस.सी.आर.टी.आई. के अभिलेखों में डी.ए.ओ. चतरा, गुमला ओर कोडरमा जिला द्वारा डोलोमाइट की पावती रसीद में दर्शित था, जो आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका सत्यापन करने पर सम्बद्ध डी.ए.ओ. द्वारा (जून 2009 और जुलाइ 2011 के मध्य) सूचित किया गया कि डोलोमाइट प्राप्त नहीं किया गया था। अतः ₹ 48 लाख की राशि डी.ए.ओ. द्वारा डोलोमाइट के जाली पावती रसीद प्रस्तुती द्वारा धोखाधड़ी की गई क्योंकि उनके पास डोलोमाइट के रसीद के

[4] देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, साहेबगंज और सिमडेगा।

प्रमाण था। अतिरिक्त में, सरायकेला जिला डोलोमाईट प्राप्त करने वाले जिले के सूची में शामिल नहीं था यद्यपि आर.एम.एस. के अंतर्गत सम्मिलित थे।

अतः निधि की स्वीकृति एवं आवंटन वित्तीय वर्ष के एकदम अंत में करने, एक समेकित कार्य के लिए दो डी.डी.ओ. की घोषणा, जे.एम.डी.सी.,राँची से डोलोमाईट के अ-प्रापण और बिना मृदा जाँच संचालित एवं किसानों को प्रशिक्षण दिये बिना डोलोमाईट के वितरण के परिणामस्वरूप ₹ 48 लाख के धोखाधड़ी के अलावे ₹ 60 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

जवाब में, सरकार ने (नवम्बर 2011) कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विभागीय जाँच बैठाई जायगी और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायगी।

3.2 नियमों का अनुपालन नहीं

सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों, विनियमों और आदेशों के तहत व्यय किया जाता हो। यह न तो केवल अनियमितताएँ, दुर्विनियोग एवं धोखेबाजी को रोकता है वरन् अच्छे वित्तीय अनुशासन के संधारण में भी मदद करता है। नियमों की अवहेलना पर कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये हैः

जल संसाधन विभाग

3.2.1 सरकार को हानि

सरकारी आदेश का उल्लघंन कर निविदा दस्तावेज में दर वृद्धि उपबंध के शामिल करने के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 21.03 करोड़ की हानि।

समेकित बिहार में,कार्य निष्पादित करने हेतु संवेदक के साथ किए गए अनुबंध के उपबंधों में दर वृद्धि का उपबंध शामिल नहीं रहता था। जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के एक आदेश[5] (जुलाई 1998) में यह प्रावधान किया गया कि यदि कार्य को पूरा करने का नियत समय एक वर्ष से अधिक हो तो प्राक्कलन के विभिन्न अवयवों के नियत दर में वृद्धि होने की परिस्थिति में दर वृद्धि दी जायगी। परन्तु विभाग अपने पूर्व के आदेश[6] को पलटते हुए निर्णय लिया (अगस्त 1999) कि अब से दर वृद्धि का भुगतान नहीं किया जाएगा। झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् झारखण्ड सरकार ने नवम्बर 2000 में उपरोक्त सभी आदेशों को अंगिकार कर लिया गया।

कार्यपालक अभियंता (का.अभि.), औरंगा निर्माण प्रमंडल,पाँकी, पलामू (अब मेदिनीनगर) के अभिलेखों की संविक्षा (फरवरी 2010)से उद्घाटित हुआ कि कार्यपालक अभियंता ने दो संवेदकों के साथ चार कार्यों के लिए ₹ 101.33 करोड़ का अनुबंध किया (2002-09)। सभी कार्यों का अनुबंधित मूल्य एक करोड़ से अधिक का था एवं इनको पूरा करने के लिए 18 एवं 36 महीनों के बीच का समय दिया गया था। यह देखा गया कि सरकार के निर्णय का उल्लघंन करते हुए मुख्य अभियंता,जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर ने मजदूर, निर्माण

[5] पत्रांक - कॉन-4 कार्य-10-1203/98-963,पटना, दिनांक-30. जुलाई 1998।

[6] पत्रांक - कॉन -4 कार्य-10-1203/98 पार्ट-960-पटना, दिनांक 18 अगस्त.1999।

सामग्री एवं चिकनाई अवयवों (पी.ओ.एल.) में दर वृद्धि को निविदा दस्तावेज के उपबंध में शामिल करने की अनुमति दी तदनुसार संवेदकों के साथ अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया। इसके परिणामस्वरूप, कार्यपालक अभियंता ने मजदूर,निर्माण सामग्री एवं पी.ओ.एल. पर संवेदकों को ₹ 21.03 करोड़ की दर वृद्धि का भुगतान (दिसम्बर 2008 एवं दिसंबर 2009 के बीच) किया ***(परिशिष्ट 3.2)***।

इस प्रकार, सरकारी आदेशों का उल्लघंन कर अनुबंध में दर वृद्धि के उपबंधों को शामिल करने के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 21.03 करोड़ का हानि हुआ।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए (नवम्बर 2011) कहा कि लेखापरीक्षा आपत्ति के तहत मामले की जाँच हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है जिसके निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायगी।

ग्रामीण विकास विभाग

3.2.2 सरकारी धन की वसूली का न होना

अग्रिम प्रदान करने एवं उनके समायोजन में संहिता के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 4.05 करोड़ के सरकारी धन की वसूली का न होना।

झारखण्ड लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम 100 में यह प्रावधान किया गया है कि जब एक संवितरण अधिकारी अपने अधिनस्थ अधिकारी को मस्टर रौल या दूसरे प्रमाणकों पर भुगतान हेतु छोटी मोटी राशि देता है तो इसे अस्थायी अग्रिम माना जाना चाहिए और फार्म-2 (शिडियूल XLV- फार्म नं. 113) में संधारण होना चाहिए। जितना जल्द संभव हो अस्थायी अग्रिम के लेखे को बंद कर देना चाहिए। आगे, सरकार के आदेशानुसार[7] (दिसम्बर 1983), अस्थायी अग्रिम का लेखा अग्रिम प्राप्ति के तिथि से एक माह के अंदर समर्पित कर दिया जाना चाहिए एवं अगला अग्रिम, कार्य के प्रगति के मूल्यांकन एवं पिछले अग्रिमों के समायोजन के उपरांत ही मंजूर किया जाना चाहिए।

कार्यपालक अभियंता (का.अभि.),ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,मेदिनीनगर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संविक्षा (मई 2010 एवं जुलाई 2011 के बीच) से उद्घाटित हुआ कि पिछले अग्रिमों के समायोजन के बिना का.अभि. द्वारा 18 कर्मचारियों को विभागीय कार्यों जैसे कि पूलपुलिया, चेक डैम, प्रखण्ड कार्यालयों की मरम्मती एवं उच्च विद्यालयों के निर्माण के लिये ₹ 4.05 करोड़ का अनियमित अग्रिम (अगस्त 2000 एवं सितम्बर 2010 के बीच) दिया गया जो कि जुलाई 2011 तक असमायोजित/अवसूलनीय रहा ***(परिशिष्ट-3.3)***। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित का अवलोकन किया गयाः

- अगस्त 2000 एवं सितम्बर 2010 के बीच 10 कर्मचारियों के विरूद्ध ₹ 3.15 करोड़ का अग्रिम लम्बित था। इसमें से सात कर्मचारी बिना अग्रिम के समायोजन के स्थानांतरित/सेवानिवृत हो गये थे।

[7] तकनीकी निगरानी कोषांग, मंत्रीमंडल (निगरानी) विभाग, बिहार सरकार के पंत्राक1/इएसटी/27/83-2347/ दिनांक- 31 दिसम्बर 1983।

- सात कर्मचारियों को दिये (जुलाई 2001 एवं अगस्त 2007 के बीच) गये ₹ 2.76 लाख का अग्रिम की वसूली कठिन हो गया चूंकि प्रमंडल को उनके वर्तमान पदस्थापन की जगह की जानकारी नहीं थी।

- एक सहायक अभियंता (स.अ.) जो कि जुलाई 2003 से ही निलंबित था को ₹ 87.93 लाख का अग्रिम (दिसम्बर 2001 एवं सितम्बर 2003 के बीच) दिया गया था। यह पाया गया कि ₹ 87.93 लाख में से ₹ 25.27 लाख उसके निलंबन अवधि में (सितम्बर 2003) दिये गये थे। यद्यपि विभाग ने उन सभी कार्यों को जो कि स.अ. द्वारा उसके निलंबन अवधि में कराया गया था को अकृत और शून्य घोषित करने के लिए का.अ. को निदेश (अक्टूबर 2003) दिया था, परन्तु का.अ. द्वारा निलंबित स.अ. से उल्लेखित अग्रिम की वसूली हेतू कोई कार्यवाई नहीं की गयी।

इस प्रकार अग्रिम के दिये जाने एवं उनके समायोजन के संदर्भ में संहिता के प्रावधानों को पालन नहीं किये जाने के कारण ₹ 4.05 करोड़ के सरकारी धन की अवसूली प्रदर्शित करता है।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर का.अ. ने तथ्यों को स्वीकार किया (मई 2011) और कहा कि संबंधित कर्मचारियों को अव्यहृत राशि को जमा करने हेतु सूचना देने की कार्रवाई की गई है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जून, 2011)। उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2011)।

पथ निर्माण विभाग

3.2.3 सरकार को हानि

एकरारनामा में दिए गए उपबंधों के पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.13 करोड़ की हानि।

कार्यपालक अभियंता (का.अभि.), पथ निर्माण प्रमंडल, मनोहरपूर द्वारा ₹ 11.26 करोड़ के प्राक्कलन के विरूद्ध ₹ 11.76 करोड़ पर बड़ाइबुरू-सैडल पथ (लम्बाई 7 कि.मी.) के दो लेनों के चौड़ीकरण एवं सशक्तिकरण के साथ-साथ पथ के किनारे के नालियों एवं पूलियों के निर्माण को अक्टूबर 2008 के नियत समय तक पूरा करने के लिए एक एकरारनामा निष्पादित (दिसम्बर, 2007) किया गया था। बाद में कार्य पूरा करने की अवधि को जून 2010 तक विस्तारित किया गया था।

प्रमंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2011) से ज्ञात हुआ कि संवेदक ने ₹ 11.76 करोड़ के एकरारित राशि के विरूद्ध ₹ 9.10 करोड़ के लागत पर सितम्बर 2010 तक पथ कार्य पूरा कर दिया था जिसके लिए जनवरी, 2011 में अंतिम भुगतान किया गया था। ₹ 2.66 करोड़ की लागत से पथ के किनारे की नाली एवं पूलियों का कार्य वन विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं होने तथा अन्य कारणों जैसा कि संवेदक द्वारा बतलाया गया था, से

निष्पादित नहीं किया जा सका था। यद्यपि जिला वन पदाधिकारी, सारन्डा वन प्रमंडल, चाईबासा ने कार्य निष्पादित करने के लिए सशर्त अनुमति प्रदान (सितम्बर, 2008) की थी, जुन 2010 तक अवधि विस्तार स्वीकृत होने के बावजूद संवेदक द्वारा यह निष्पादित नहीं किया जा सका। अंतिम विपत्र के अनुसार यह पाया गया कि जून 2010 तक जो कि कार्य पूर्ण करने की नियत अवधि थी, ₹ 9.10 करोड़ में से केवल ₹ 7.94 करोड़ राशि का हीं कार्य पूर्ण किया गया था। इस प्रकार समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण संवेदक प्राक्कलित राशि का 10 *प्रतिशत* ₹ 1.13 करोड़[8] क्षतिपूरक राशि भुगतान करने के लिए जिम्मेवार था।

संवेदक के 14वीं लेखा विपत्र में, यह पाया गया कि 798.75 क्यू एम अर्द्ध-सघन अलकतरा ठोस के प्रारंभिक मापी के विरूद्ध, का.अ. ने 88.75 क्यू एम को अस्वीकृत कर दिया एवं संवेदक को 710 क्यू एम तक कार्य करने के लिए ₹ 37.52 लाख का भुगतान किया गया था। जबकि 15वीं लेखा विपत्र की अंतिम लेखा विपत्र[9] में भी 710 क्यू एम के स्थान पर 798.75 क्यू एम के लिए ₹ 42.21 लाख[10] का भुगतान किया गया। इस प्रकार 88.75 क्यू.एम. के लिए ₹ 4.77 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित अनियमितताओं को भी पाया गयाः-

- परिमाण विपत्र एवं एकरारनामा के अनुसार अलकतरा का उठाव बोकारो से किया जाना था एवं जिसके लिए ढुलाई हेतु परिवहन के लि 460 कि.मी. की दूरी अंकित था। जबकि संवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये बिजकों से ज्ञात हुआ कि संवेदक ने वास्तव में ₹ 3.26 प्रति कि.मी. प्रति एम.टी. के दर से 378.71 एम.टी. अलकतरा का उठाव राँची से (दूरी 264 कि.मी.) किया था, जिसके लिए संवेदक को ₹ 3.26 लाख का भुगतान होना चाहिए था। एकरारनामा के प्रावधान के अनुसार 460 कि.मी. ढुलाई के दूरी को मानते हुए संवेदक को 378.71 एम.टी. अलकतरा के ढुलाई के लिए ₹ 5.67 लाख का भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप संवेदक को ₹ 2.41 लाख का अधिक भुगतान किया गया।
- ₹ 1.20 करोड़ (₹ 1.13 करोड़ + ₹ 0.05 करोड़ + ₹ 0.02 करोड़) के कुल वसूलनीय राशि के विरूद्ध प्रमंडल के पास कुल राशि मात्र ₹ 1.16 करोड़ (बी.जी./एस.डी. = ₹ 1.04 करोड़, अवधि विस्तारः ₹ 0.12 करोड़) था।

सरकार ने लेखा परीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते (नवम्बर 2011) हुए कहा कि कार्य विस्तारित अवधि में पूरा नहीं हुआ था। अंतिम लेखा विपत्र से 10 *प्रतिशत* का अर्थदंड पहले ही काट लिया गया था शेष राशि की वसूली संवेदक के बी.जी. से कर ली जायगी।

---

[8] ₹ 11.26 करोड़ (प्राक्कलित राशि)का 10 प्रतिशत = ₹ 1.13 करोड़।

[9] मापी पुस्तिका संख्या -365, पृष्ठ 38 एवं 56।

[10]

798.75 क्यू एम- 710.00 क्यू एम 88.75 प्रति क्यूएम ₹ 5,284.75 की दर से =		₹ 4.69 लाख
10.244 एम टी अलकतरा के कीमत को छोड़कर ₹ 29,675 प्रति क्यू एम की दर	(-)	₹ 3.04 लाख
से बाकी की कीमत का 5 प्रतिशत घटायें		₹ 1.65 लाख
जोड़ें एकारित राशि का 5 प्रतिशत		₹ 0.08 लाख
		₹ 1.73 लाख
जोड़ें अलकतरा की कीमत		₹ 3.04 लाख
		₹ 4.77 लाख

3.2.4 अधिक्य भुगतान के कारण हानि

सरकारी आदेशों की अवहेलना के परिणामस्वरूप अलकतरा के अंतर लागत के रूप में ₹ 1.08 करोड़ का अधिक्य भुगतान के कारण हानि।

सरकारी अधिसूचना संख्या 405(एस) के उपबंध 2(ii)दिनांक 31 जनवरी 2004 के अनुसार "वास्तविक क्रय के विरूद्ध मूल बीजकों के आधार पर मूल्य" और "अनुबंध के अनुसार स्वीकार्य दर" के बीच अंतर लागत की प्रतिपूर्ति तभी करना था जब अलकतरा की आपूर्ति एवं उसका उपयोग अलकतरा कार्य के नियत कार्यक्रम के अन्तर्गत हो।

मुख्य अभियंता (मु.अभि.), पथ निर्माण विभाग, राँची के अनुमोदन (नवम्बर, 2006) पर आधारित, कार्यपालक अभियंता (का.अ.), पथ निर्माण प्रमंडल, (प.नि.प्र.),कोडरमा द्वारा ₹ 10.74 करोड़ के तकनीकी रूप से स्वीकृत प्राक्कलन के विरूद्ध ₹10.85 करोड़ की कुल लागत पर ढ़ाव-पिहरा-कालीडिह पथ (20.57 कि.मी.)के चौड़ीकरण और सशक्तिकरण के लिए एक संवेदक के साथ अनुबंध क्रियान्वित (दिसम्बर 2006) किया गया। कार्य को पूर्ण करने का नियत समय दिसम्बर 2008 था।

का.अ.,प.नि.प्र., कोडरमा के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2010) से ज्ञात हुआ कि संवेदक को किये गये कार्य जिसमें 583.15 एम.टी. अलकतरा का उपयोग किया गया था, के लिए ₹ 12.03 करोड़ का भुगतान (मार्च 2010) किया गया। कार्य योजना के अनुसार अलकतरा कार्य (समतलीकरण, बिटुमीनस मेकाडम और सेमी डेन्स बिटुमीनस कारपेट) जुलाई 2007 एवं अगस्त 2008 के बीच किया जाना था। यद्यपि अलकतरा का कार्य वास्तव में 10 अगस्त 2008 एवं 16 दिसम्बर 2008 के बीच किया गया, जबकि मापी पुस्तिका के अनुसार,अलकतरा का प्रथम बीजक 9 सितम्बर 2008 को निर्गत किया गया था। इस प्रकार इस तथ्य के बावजूद कि संवेदक कार्य के कार्यक्रम के अनुसार अलकतरा कार्य निष्पादित करने में विफल रहा था। उपरोक्त अंकित सरकारी आदेश का उल्लघंन कर अलकतरा के अंतर लागत ₹ 1.08 करोड़ की राशि का भुगतान (मार्च 2010) किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2011) कि भुगतान अलकतरा के खपत के अनुसार अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग के स्वीकृति के आलोक में किया गया था। जबकि अभियंता प्रमुख, प.नि.वि. अलकतरा के अंतर लागत का भुगतान सरकार के अधिसूचना सं 405 दिनांक 31 जनवरी 2004 के आधार पर स्वीकृत (दिसम्बर 2008) किया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अलकतरा कार्य के नियत कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो अलकतरा खरीदा गया था न ही उपयोग में लाया गया था। का.अ. कार्य के धीमी गति से किये जाने से अवगत थे एवं बिटुमीनस कार्य के वास्तविक संपादन की तारीख को स्वीकार भी किया। इस प्रकार, सरकारी आदेश की अवहेलना के परिणामस्वरूप ₹ 1.08 करोड़ का अधिक्य भुगतान किया गया।

कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा मामले विभाग

3.2.5 सरकार को हानि

व्यावसायिक शुल्क के उदग्रहण के लिए अनुच्छेद असमावेश के कारण सरकार को ₹ 96.97 लाख की हानि उठाना पड़ा।

कला,संस्कृति, खेल कूद एवं युवा मामले विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा फरवरी/मार्च 2007 के माह में 34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के लिए 7,000 खिलाड़ियों और अधिकारियों को आवास की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया (अगस्त 2004)। इस प्रयोजन के लिए कैबिनेट के निर्णयानुसार सरकार द्वारा बिना किसी निविदा आमंत्रण किये नामांकन के आधार पर आई.एल.एण्ड एफ.एस इंफ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली (परामर्शदाता) को संभाव्यता प्रतिवेदन[11] तैयार करने हेतु नियुक्त किया गया (फरवरी 2005)।

विभाग के सचिव, के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2011) से पता चला कि विभाग द्वारा परामर्शदाता के साथ अनुबंध का ज्ञापन (एमओए)13[12] हस्ताक्षरित किया गया (फरवरी 2005) एवं चरण I (प्रक्रिया प्रयोजन के लिए) के लिए ₹ 88 लाख का और चरण II (अनुश्रवण प्रयोजनों के लिए) के लिए ₹ 85 करोड़ के भूमि परियोजना लागत के 0.4 प्रतिशत के बराबर ₹ 34 लाख का व्यावसायिक शुल्क भुगतान का अनुबंध किया गया जिसे सफल निविदाकार से वसूली करना था। सरकार द्वारा डेभलेपर से व्यापारिक शुल्क के वसूली के लिए अनुच्छेद के समावेश के बिना ही डेभलेपर (मेसर्स नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड) के साथ अनुबंध (जनवरी 2006) कर लिया गया। विभाग द्वारा चरण-I के लिए परामर्शदाता को व्यापारिक शुल्क के रूप में ₹ 96.97 लाख[13] (अप्रैल 2005 और मार्च 2006 के मध्य) भुगतान किया गया। चूँकि परामर्शदाता ने एक दोषपूर्ण अनुबंध तैयार किया था अतः डेभलेपर से राशि की वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि डेभलेपर के साथ किये गये अनुबंध में वसूली सम्बन्धी अनुच्छेद शामिल नहीं था।

इस प्रकार परामर्शदाता द्वारा तैयार किये गये एवं डेभलेपर और विभाग के मध्य क्रियाविन्त अनुबंध में वसूली सम्बन्धी अनुच्छेद का शामिल नहीं किये जाने के कारण सरकार को ₹ 96.97 लाख की हानि उठाना पड़ा। विभाग के सचिव भी डेभलेपर के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध में त्रुटि के नोटिस करने में विफल रहे।

विभाग ने लेखा परीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (जून 2011) और कहा कि परामर्शदाता से ₹ 96.97 लाख की वसूली की जायगी।

---

[11] इसमें प्रथम स्तर में अनुबंध के बंधों एवं शर्तो की तैयारी, अनुश्रवण एवं द्वितीय स्तर में खेल गांव परियोजना के क्रियान्वनय और बिक्री योग्य गृह इकाईयों के उपयुक्त मिश्रण ,आवश्यक नागरिक सहाय ,मूलभूत संरचना, मास्टर प्लान और सुविधाओं की प्राथमिकता सम्मिलित है।

[12] एमओए की कंडिका 7.2.1 ।

[13] व्यवसायिक शुल्क ₹. 88 लाख, सेवा कर ₹. 8.80 लाख एवं शिक्षा उपकर ₹. 0.17 लाख सम्मिलित है।

पथ निर्माण विभाग

3.2.6 व्यर्थ व्यय

संवेदक द्वारा कर्मचारियों की मिली भगत से निम्न स्तर का कार्य संपादन करने के कारण सरकार को ₹ 1.22 करोड़ का हानि उठाना पड़ा, इसके अलावे ₹ 1.07 करोड़ की परिनिर्धारित नुकसान के तहत दंड की हानि हुई।

मधुपूर-लेहरजोरी पथ (21.64 कि.मी.) की चौड़ीकरण एवं सशक्तिकरण कार्य का प्रशासिनक अनुमोदन (अगस्त 2007) पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.)तथा तकनीकी स्वीकृति (फरवरी 2008) मुख्य अभियंता (मु.अ.) केन्द्रीय निरूपण संगठन, प.नि.वि. द्वारा प्रदान की गई। मु.अ. द्वारा इस कार्य को ₹ 13.08 करोड़ पर एक संवेदक को आवंटित किया गया जिसे मार्च 2009 तक समाप्त किया जाना था।

संविदा के उपबंध 13 के मियादें एवं शर्तों के अनुसार, संवेदक अपनी कीमत पर पूरे कार्य या आंशिक भाग का पुनर्निर्माण/सुधार करने के लिए या क्षतिग्रस्त कार्य/त्रुटिपूर्ण या अकुशल कर्म कौशल के लिए क्षतिपूरक भुगतान के लिए जिम्मेवार था। यदि सुधार/पुनर्निर्माण कार्य में नियत अवधि तक संवेदक विफल रहा तो इस तरह के कार्यों को संवेदक के जोखिम एवं कीमत पर अन्य अभिकर्ताओं द्वारा निष्पादित कराया जाना था। आगे संविदा के उपबंध-2 के मियादें एवं शर्तों के अनुसार, यदि संवेदक द्वारा नियत अवधि में कार्य समाप्त करने में विफल रहा तो उसे क्षतिपूरक (परिनिर्धारित नुकसान) के रूप में अधुरे कार्य की कीमत का 0.5 *प्रतिशत* प्रतिदिन की दर से जो अधिक से अधिक प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत होगा, संवेदक से वसूलनीय होगी। संविदा के उपबंध-22 के मियादें एवं शर्तें, अनुबद्ध करती है कि संविदा के अंतर्गत किए जाने वाले सभी कार्य अंचल के अधीक्षण अभियंता (अ.अ.) के निर्देशन के अन्तर्गत होंगी एवं उनके सभी प्रकार से अनुमोदन हो जाने पर ही निष्पादित किया जायगा।

का.अ., पथ निर्माण प्रमंडल, देवघर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (फरवरी 2011) से ज्ञात हुआ कि का.अ. ने यंत्र एवं संयंत्रों, गर्म मिलावटी संयंत्रें, कार्य स्थल पर प्रयोगशाला के होने की भौतिक निरीक्षण किए बिना एक संवेदक मेसर्स नियो बिल्ट कारपोरेशन, कोलकाता के साथ एक अनुबंध निष्पादित (मार्च 2008) किया था। का.अ. द्वारा संवेदक द्वारा जमा किए गए बैंक गारन्टी (बी.जी.)[14] के असली होने का सत्यापन भी नहीं किया गया था क्योंकि कुल ₹ 49 लाख बी.जी. में से, ₹ 21 लाख का बी.जी. संख्या 12 दिनांक 22 फरवरी 2008 एम/एस नियो विल्ट कारपोरेशन के स्थान पर मेसर्स बैद्यनाथ कन्सट्रक्शन कोलकाता के नाम से था।

आगे अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि (i)संवेदक द्वारा यंत्र एवं संयंत्रें स्थापित नहीं की गई थी (ii) स्टोन चीप्स के स्थान पर स्थानीय बालू का उपयोग किया गया था (iii) त्रुटिपूर्ण वाटर बाऊन्ड मैकाडम उपयोग किया गया था। (iv) पूलियों का निर्माण नहीं किया

[14] बी.जी.न. 18107, ₹ 28,00,000 के लिए, 12 ₹ 21,00,000 के लिए एवं पोस्ट ऑफिस टी.डी. पासबुक सं. 550280378-386 ₹ 17,00,000 के लिए।

गया था एवं गार्ड वाल का निर्माण विशिष्टियों के अनुरूप नहीं था। इस प्रकार संवेदक द्वारा निम्न स्तर का कार्य एवं निरूपण एवं विशिष्टियों के अनुरूप कार्य न करने के बावजूद का.अ. ने संवेदक को ₹ 1.27 करोड़ का भुगतान (सितम्बर 2008) कर दिया। निम्न स्तर के कार्य करने के तथ्य की पूष्टि (मई 2010) निरीक्षण समिति[15] द्वारा भी उनके रिपोर्ट में की गई थी। प्रतिवेदन के आधार पर, अभियंता प्रमुख ने अंतिम मापी लेने के पश्चात् संविदा को विखंडित करने का निर्देश (जून 2010) दिया। तदनुसार ₹ 1.22 करोड़ के कार्य को अमान्य कर दिया गया और यह राशि संवेदक से वसूल किया जाना था। विभाग ने संविदा को विखंडित (जून 2010) कर दिया, लेकिन शेष कार्य को दोषी संवेदक के जोखिम एवं कीमत पर निष्पादित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह निर्माण कार्य के दौरान अ.अभि., का.अ, सहायक अभियंता (स.अ.) एवं कनीय अभियंता (क.अ.) द्वारा संवेदक के कार्य संपादन की गुणवत्ता के अनुश्रवण करने में विफल रहने के कारण सरकार को ₹ 1.22 करोड़ की हानि उठानी पड़ी। इसके अलावे, दंड की वसूली न होने से सरकार को ₹ 1.07 करोड़[16] की हानि उठानी पड़ी।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (नवम्बर 2011) और कहा कि कार्य विखंडित कर दिया गया है एवं नया निविदा आमंत्रित (जनवरी 2011)किया गया है। संवेदक जो इसी प्रमंडल में दूसरे कार्यों में कार्यरत हैं, ₹ 2.29 (₹ 1.22 करोड़ + ₹ 1.07 करोड़) की वसूली हेतु उचित कदम उठाये जायेंगे।

3.3 बिना तर्कसंगत के व्यय/औचित्य विरूद्ध लेखापरीक्षा

लोक निधि से होने वाले व्यय का प्राधिकार लोक व्यय के औचित्य एवं दक्षता के सिद्धांत से मार्गदर्शीत किया जाना है। प्राधिकारियों जिनमें व्यय करने की शक्ति निहित है से आशा की जाती है कि व्यय करते समय वे वैसा ही सतर्कता बरतें जैसा कि सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति स्वयं के पैसे को खर्च करते समय बरतता है तथा उन्हें प्रत्येक कदम पर वित्तिय आदेश व सशक्त मितव्ययिता लागू करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने अनौचित्य एवं अधिक्य व्यय के उदाहरणों का पता किया जिसमें से कुछ का वर्णन यहाँ नीचे किया जा रहा है:

ग्रामीण कार्य विभाग

3.3.1 व्यर्थ व्यय एवं सरकार को हानि

विभाग द्वारा संवेदक के विरूद्ध ससमय कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 63.69 लाख का व्यर्थ व्यय, इसके अलावे, ₹ 14.40 लाख के परिनिर्धारित नुकसान एवं ₹ 7.21 लाख की जमानत राशि न भुनाया जाना।

संविदा के उपबंध 13 की मियादें एवं शर्तों के अनुसार, संवेदक अपनी कीमत पर कार्य के पूरे या आंशिक भाग का पुनर्निर्माण/सुधार करने के लिए या क्षतिग्रस्त कार्य/त्रटिपूर्ण या अकुशल कर्म-कौशल के लिए क्षतिपूरक भुगतान लिए जिम्मेदार होगा। संवेदक द्वारा कार्य में

[15] अ.अ, सड़क निर्माण विभाग, सड़क अंचल दुमका, का.अ.,आर.सी.डी. सड़क प्रमंडल, दुमका एवं का.अ., सड़क प्रमंडल, साहेबगंज समाविष्ट।

[16] ₹ 13.08 करोड़ के एकरारित राशि का 10 प्रतिशत = ₹ 1.30 करोड़ (-)प्रतिभूति जमा का जब्त राशि ₹ 23 लाख = ₹ 1.07 करोड़

सुधार/पुनर्निर्माण में विफलता की स्थिति में इन कार्यों को संवेदक के जोखिम एवं कीमत पर अन्य अभिकर्त्ताओं द्वारा निष्पादित कराया जाएगा। आगे, संविदा के उपबंध-2 के मियादें एवं शर्तों के अनुसार, यदि संवेदक द्वारा नियत अवधि में कार्य समाप्त करने में विफल रहता है तो उससे क्षतिपूरक (परिनिर्धारित नुकसान) के रूप में अधुरे कार्य की कीमत का 0.5 *प्रतिशत* प्रतिदिन की दर से जो प्राक्कलित राशि का अधिक से अधिक 10 *प्रतिशत* होगा संवेदक से वसूलनीय होगी।

कार्यालय अभियंता (का.अ.), ग्रामीण कार्य प्रमंडल, चाईबासा, के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2009) से उद्घाटित हुआ कि का.अ. ने चाईबासा जिला में दुधविला-खास जामदा पथ (12.20 कि.मी.)को अपग्रेड करने के लिए संवेदक के साथ ₹ 1.44 करोड़ (परिणाम विपत्रों से 15 *प्रतिशत* कम) का एक एकरारनामा जुलाई 2005 तक कार्य पूरा करने के लिए, निष्पादित (जुलाई 2004) किया। संवेदक ने ग्रेड[17]-I, II एवं आंशिक रूप से ग्रेड-III तक कार्य करने के बाद प्रिमिक्स कारपेटिंग, सील कोट,पूलिया इत्यादि के निर्माण किए बिना कार्य को छोड़ (मार्च 2006) दिया और उसे बिना किसी अवधि विस्तार के ₹ 63.69 लाख का भुगतान किया (मार्च 2006) गया। नौ माह बाद अर्थात् जनवरी 2007, संवेदक ने पथ पर भारी वाहन के आवागमन के आधार पर शेष कार्यों को निष्पादित करने में अपनी असर्मथता व्यक्त की। का.अ.,एकरारनामा के अनुबंध के अनुसार नियत समय पर एकरारित कार्य को निष्पादित नहीं करने के लिए ₹ 14.40 लाख[18] का परिनिर्धारित नुकसान की वसूली के लिए संवेदक के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने में विफल रहे। इसके अलावे संवेदक द्वारा जमा की गई प्रारंभिक जमानत राशि के रूप ₹ 7.21 लाख के दो बैंक गारंटियों (बी.जी.) जो दिसम्बर 2004 एवं मई 2005 तक वैध थी, की वैधता भी समाप्त हो गई क्योंकि प्रमंडल ससमय इनकी पुनः बैधता प्राप्त कराने में विफल रहा।

यद्यपि, संवेदक ने मार्च 2006 में ही कार्य को बंद कर दिया था, विभाग ने कोई दूसरे अभिकर्ता से संवेदक के जोखिम एवं लागत पर अवशेष कार्यों को संपादित करने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की (मई 2011)। आंशिक रूप से निर्मित पथ वर्षा एवं भारी वाहनों के आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। पूर्व के कार्य की मापी नहीं हुई एवं अवशेष कार्य प्रारंभ नहीं किये गये।

इस प्रकार विभाग एकरारनामा को विखंडित कर संवेदक के विरूद्ध ससमय कार्रवाई करने में तथा दोषी संवेदक के जोखिम एवं लागत पर अवशेष कार्यों को दूसरे संवेदक से संपादित कराने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 63.69 लाख के व्यर्थ व्यय के अलावा ₹ 14.40 लाख की परिनिर्धारित नुकसान की राशि की वसूली नहीं की गई तथा ₹ 7.21 लाख के प्रतिभूति जमा को भुनाने में भी विफल रहा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जून, 2011)। उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर, 2011)।

---

[17] ग्रेड I, II एवं III सड़क निर्माण प्रारम्भिक स्तर हैं और कार्य में प्रयुक्त पत्थर को क्रमशः का आधार 45 मी.मी. से 90 मी. मी., 45 मी.मी. से 63 मी.मी. एवं 22.40 मी.मी. से 53 मी.मी. उपयोग किए जाते हैं।

[18] कुल प्राक्कलित लागत का 10 प्रतिशत।

वन एवं पर्यावरण विभाग

3.3.2 *निष्फल व्यय*

निष्क्रिय कर्मचारियों पर वहित ₹ 7.85 करोड़ का निष्फल व्यय।

झारखण्ड सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा लघु वन उत्पाद एवं व्यापारिक क्रिया कलापों[19] को झारखण्ड राज्य वन विकास निगम (जे.एस.एफ.डी.सी.) को हस्तान्तरित कर वन डिपो जो लगभग बिना किसी विशेष कार्य के थे, के स्थापना व्यय को सीमित करने के लिए, निर्णय (नवम्बर 2005) लिया गया। तदनुसार चाईबासा राज्य व्यापारिक प्रमण्डल सं.-II, चाईबासा एवं सारन्डा राज्य व्यापारिक प्रमंडल, चाईबासा के व्यापारिक क्रियाकलापों को जे.एस.एफ.डी.सी. को हस्तान्तरित (अप्रैल 2006) किया गया, लेकिन प्रमंडल के कर्मियों को नहीं भेजा गया।

वन संरक्षक, सिंहभूम राज्य व्यापारिक मंडल, जमशेदपुर के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2010)से पता चला कि अप्रैल 2006 से ही व्यापारिक प्रमंडल का व्यापारिक क्रिया कलाप बंद हो गया था और उनका स्थापना निष्क्रिय पड़ा था। यद्यपि, इन दो प्रमंडलों के कर्मचारियों को विभाग में 491 रिक्तियों के रहने के बावजूद अन्य कार्यालय/प्रमंडल में समायोजित नहीं किया गया। जिसके परिणास्वरूप, चाईबासा राज्य व्यापारिक प्रमंडल सं.-II के 26 कर्मचारीगण एवं सारन्डा राज्य व्यापारिक प्रमंडल के 30 कर्मचारीगण बेकार पड़े रहे और 2006-07 से फरवरी 2011 की अवधि के दौरान उनके वेतन एवं भत्तों पर ₹ 7.85 करोड़ का सम्पूर्ण स्थापना व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त, वन उत्पादों के व्यापारिक क्रिया कलापों के हस्तान्तरण द्वारा स्थापना व्यय को सीमित करने का मुख्य प्रयोजन भी पूरा नहीं हुआ।

इसे बताये जाने पर, वन संरक्षक, सिंहभूम राज्य व्यापारिक मंडल, जमशेदपुर द्वारा कर्मचारियों के निष्क्रिय रहने के तथ्य को स्वीकार (मार्च 2010,फरवरी एवं मार्च, 2011) किया एवं कहा कि मामले को पहले ही उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया था। आगे के प्रश्नों पर संरक्षक द्वारा बताया गया कि प्रमंडल के पुनर्गठन का प्रस्ताव उच्चतर अधिकारियों को बार बार अग्रसारित किया जाता रहा था।

तथ्य यह रहा कि इन दो वन व्यापारिक प्रमंडलों की स्थापनायें अभी तक विद्यमान थी और व्यापारिक प्रमंडलों के कर्मचारियों की सेवायें सरकार के उदासीनता के कारण लाभकारी रूप में उपयोग में नहीं लाया जा रहा था।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए (नवम्बर 2011) कहा कि दोनो राज्य व्यापारिक प्रमंडलों में निष्क्रिय कर्मचारियों को दूसरे स्थापना/कार्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित करने की प्रक्रिया जारी थी।

[19] वन उत्पाद का विक्रय, विपणन, उत्पाद जमा करना और लट्टा बनाने की प्रक्रिया ।

ग्रामीण विकास विभाग

3.3.3 निष्फल व्यय

विभागीय पदाधिकारियों द्वारा अनुश्रवण की कमी के कारण इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत गृह 10 से 120 महीनों के बीत जाने के बाद भी अपूर्ण पड़े रहे जिसके कारण ₹ 1.25 करोड़ का निष्फल व्यय।

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाली जनता को गृहों के निर्माण/पुनरूद्धार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 1996 में प्रारंभ किया गया था। वित्तीय सहायता 2003-04 तक ₹ 20,000, 2004-08 तक ₹ 25,000, 2008-09 के दौरान ₹ 35,000 एवं 2009-10 के दौरान ₹ 45,000 तक सीमित किया जाना था और निर्माण के गति के अनुरूप किस्तों में लाभूकों को विमुक्त किया जाना था। परियोजना के अनुसार, जिला, उप-प्रमंडल एवं प्रखण्ड स्तर पर परियोजना के निपटारा करने वाले अधिकारियों कार्यस्थल पर भ्रमण के द्वारा आई.ए.वाई. के सभी पहलूओं का सूक्ष्म अनुश्रवण करना था।

प्रखंड विकास पदाधिकारियों, पेटरवार (बोकारो) और तमाड़ (खूंटी) के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2009 एवं जुलाई 2011 के मध्य) से पता चला कि कुल 3,422 लाभूकों में से 874 लाभूकों के गृहों का निर्माण अभी भी अपूर्ण हैं ***(परिशिष्ट-3.4)***। आई.ए.वाई. के अन्तर्गत जिन्हें प्रथम किस्त के विमुक्ति से तीन से छः महीनो (दिसम्बर 2001 और सितम्बर 2010 के मध्य) की अवधि में पूर्ण हो जाना चाहिए था। लाभूकों को प्रारंभिक किस्त के रूप में प्रति लाभूकों को ₹ 5,000 से ₹ 20,000 तक की राशि के तहत कुल ₹ 1.25 करोड़ का भुगतान (जून 2001 एवं मार्च 2010 के मध्य) किया गया । विभागीय अधिकारियों द्वारा समुचित अनुश्रवण नहीं किया गया क्योंकि न तो निरीक्षण का कोई अनुसूची और न ही विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण को प्रदर्शित करता कोई अभिलेख ही लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया गया, जब कि इसे माँगा गया था। आगे, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि ये गृहें पूर्णता की नियत तिथि से 10 से 120 महीना बीत जाने के बाद भी अपूर्ण पड़ी थी।

इसके परिणामस्वरूप विभागीय अधिकारियों द्वारा परियोजना के समुचित अनुश्रवण के अभाव के कारण अपूर्ण आवासों पर ₹ 1.25 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

सरकार द्वारा उत्तर में कहा गया (नवम्बर 2011) कि 2000-10 के दौरान आई.ए.वाई. के तहत अपूर्ण रहे गृहों को पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे।

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

3.3.4 अनियमित भुगतान

तकनीकी स्वीकृति एवं कार्य के मापी के बिना ₹ 3.50 करोड़ का भुगतान।

झारखण्ड लोक निर्माण विभाग (जेपीडब्लूडी) संहिता के नियम 126 एवं 244 एवं जुलाई 1986 में सरकार द्वारा जारी किये गये संकल्प के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य की तकनीकी

स्वीकृति के लिए विस्तृत प्राक्कलन का तैयार किया जाना अनिवार्य था। कार्य के क्रियान्वयन से सम्बन्धित सभी क्रिया कलापों के अभिलेख लेखन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, मापी पुस्तिका का संधारण भी अनिवार्य था। बिना तकनीकी स्वीकृति के व्यय के लिए निधि विमुक्त करने वाले अधिकारी त्रुटि के लिए उत्तरदायी ठहराये जाने थे। अतिरिक्त में, संहिता के नियम 207 के अंतर्गत वास्तविक क्रियान्वित कार्य के लिए भुगतान के लिए एक प्रणाली का संधारण की प्रत्येक कोशिश की जानी थी।

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक रूप से अस्तित्व में आये कृषि पर्यटन केन्द्र[20] के रूप में कृषि प्राकृतिक अनुसंधान केन्द्र (ए.एन.आर.सी.) डेमोटांड़, हजारीबाग के निर्माण के लिए ₹ 3.50 करोड़ स्वीकृत (मई 2007 एवं जुलाई 2008 के मध्य) किया गया। कार्य मेसर्स एनभयरमेंट रिसर्च एण्ड कन्सलटेंसी ग्रुप (एजेंसी) को देने का अधिनिर्णय (मार्च 2008) किया गया जिसे उप-निदेशक,मृदा संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (एस.सी.आर.टी.सी.), हजारीबाग के पर्यवेक्षण के अंतर्गत क्रियान्वित करना था। तदनुसार, मेमोरण्डम ऑफ अन्डरस्टेंडिंग (एम.ओ.यू.) विभाग और एजेंसी के मध्य हस्ताक्षरित (मार्च 2008) किया गया ।

उप-निदेशक, एस.सी.आर.टी.सी., हजारीबाग के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला (अप्रैल एवं मई 2011 के मध्य) कि न तो कार्य किसी भी सक्षम पदाधिकारी[21] द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत था न ही मापी पुस्तिका का संधारण ही किया गया था। अतः किये गये कार्य की स्थिति का आकलन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। यद्यपि, यह पाया गया कि सचिव द्वारा ₹ 3.50 करोड़ विमुक्त किया गया था और तदनुसार प्रोफोर्मा बीजक[22] पर अभिकरण को भुगतान (मार्च 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य) कर दिया गया। ₹ 3.50 करोड़ में से ₹ 1.50 करोड़ का विपत्र, एम.ओ.यू. के हस्ताक्षरण (31 मार्च 2008) के पूर्व, 28 मार्च 2008 को भुगतान के लिए पारित किया गया । मई 2011 तक कार्य अपूर्ण था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि सांविधिक कटौतियाँ (बिक्रीकर, आय एवं श्रमिक शुल्क), जो अभिकरण को विपत्रों से वसूलनीय था, की भी कटौती नहीं कि गयी।

अतः विभाग द्वारा ₹ 3.50 करोड़ के निधि और तदनुसार बिना तकनीकी स्वीकृत और बिना मापित कार्य पर अभिकरण को भुगतान करने की कार्रवाई अनियमित ही नहीं था वरन् सरकारी राशि के दुर्विनियोग के खतरों से परिपूर्ण था। अलावे सांविधिक करों/सेस इत्यादि की कटौती नहीं करने के कारण सरकार को ₹ 18.34 लाख[23] की हानि वहन करना पड़ा।

---

[20] कार्य सिविल निर्माण जैसे ग्रीनहाउस, चाहरदिवारी दिवाल,पर्यटक सूचना केन्द्र, व्याख्या एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्र, एक्वीफर जलाशय, जल संरक्षण कार्य,पर्यावरण-पार्कों, नक्काशी कला के साथ कैफेटरिया, टेराकोटा कार्य लैण्डस्केप विकास, कैनापी ट्रेल्स,और उपस्कर के क्रय के साथ सहायक क्रियाकलाप के लिए बना हुआ था जो निर्माण एवं उनके संधारण के लिए आवश्यक था।

[21] किसी तकनीकि विभाग द्वारा, क्योंकि कृषि एवं गन्ना विभाग के पास अभियंत्रण सेल नहीं था।

[22] एक संक्षिप्त एवं आकलित बीजक जो लदान या सामग्री को पहुँचाने से पहले ही क्रय करने वाला को बेचने वाले द्वारा भेजा जाता है। इसमें समान की किस्म एवं गुणवत्ता, उनका मूल्य एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचना जैसे कि भार एवं परिवहन शुल्क अंकित होता है। प्रोफोर्मा बीजक कोटेशन एंव आयात में कस्टम प्रयोजनों के लिए प्राथमिक बीजक के रूप में समान्यतया उपयोगित होती है। यह सामान्य बीजक से भिन्न होता है क्योंकि इसमें मांग एवं भुगतान के लिए अनुरोध नहीं होता है।

[23] बिक्रीकरः ₹ 7.00 लाख, आयकरः ₹.7.84 लाख, श्रमिक शुल्कः ₹ 3.50 लाख ।

सरकार का उत्तर था कि (नवम्बर 2011) विभागीय जाँच गठित की जायगी एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायगी।

3.4 दृष्टिचूक/शासन की विफलता

सरकार को लोगों की जीवनशैली की गुणवत्ता में सुधार लाने का दायित्व है जिसके लिए यह स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और बुनियादी संरचना के उन्नयन और जनसेवा आदि के क्षेत्र में निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति के तहत् कार्य करती है। यद्यपि, लेखापरीक्षा में उदाहरण पाया गया, जहाँ सरकार, द्वारा सामुदायिक लाभ हेतु लोक संपदा की सृष्टि हेतु विमुक्त की गयी निधि विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने में असमर्थता एवं योजनाबद्ध तरीके के अभाव, प्रशासनिक निरीक्षण के अभाव, के कारण अनुपयोगित/अवरोधित और/या निष्फलसिद्ध/अ-उत्पादक रही। कुछ वैसे मामलों को नीचे विमर्शित किया गया है :

पर्यटन विभाग

3.4.1 निधि का अवरोधन

निधि के अनुपयोग एवं कोषागार में अव्ययित शेष को समय से जमा नहीं करने के कारण ₹ 9.49 करोड़ के व्याज की हानि के अलावे ₹ 50.30 करोड़ का अवरोधन।

झारखण्ड कोषागार संहिता खंड-I के नियम 300 में नियत है कि कोषागार से कोई राशि तब तक आहरित नहीं किया जाना चाहिए जबतक तत्काल भुगतान के लिए इसकी आवश्यकता न हो। मांग की प्रत्याशा में अग्रिमों का आहरण, उन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए जिसकी पूर्णता में यथेष्ट समय लगने की सम्भावना हो या विनियोग के व्ययगत होने से बचाव की जरूरत हो, कोषागार से अनुमत्य नहीं है। अतिरिक्त में, मात्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि के आधार पर कोषागार से राशि आहरित नहीं किया जाना चाहिए। न ही यह अनुमत्य है कि कोषागार से राशि आहरित कर और आवंटन को व्ययगत होने से बचाव के लिए जमा कर दिया जाये। विशेष परिस्थिति में सक्षम पदाधिकारी के आदेश के अन्तर्गत राशि यदि अग्रिम आहरित कर लिया गया है तो अव्यवहृत शेष राशि को अगले विपत्र से कम आहरण द्वारा कोषागार को वापस या चालान से शीघ्र सम्भावित सुअवसर पर किसी भी हालत में वित्तीय वर्ष के अन्त से पूर्व जिसमें आहरित किया गया है, जमा कर देना चाहिए।

अतिरिक्त में, झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 542 एवं उसके विरूद्ध लिये गये निर्णय के अनुसार, यदि समेकित निधि से निकाली गयी रकम द्वारा व्यक्तिगत जमा लेखा का सृजन किया जाता है, तो समेकित निधि के संगत सेवा शीर्ष के शेष को ऋण निकाली गयी रकम द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत तक कोषागार पदाधिकारी द्वारा स्वतः बंद कर दिया जायेगा। यदि आवश्यकता हो तो व्यक्तिगत जमा खाता को अगले वित्तीय वर्ष में खोला जा सकता है। यद्यपि, कोषागार पदाधिकारी व्यक्तिगत लेजर खाता बंद करने में सक्षम नहीं थे।

सचिव, पर्यटन विभाग एवं निदेशक, पर्यटन विभाग, झारखण्ड सरकार के अभिलेखों और झारखण्ड पर्यटन विकास निगम (जे.टी.डी.सी.) से एकत्रित सूचना की संवीक्षा (मई 2010 और मई 2011)

से पता चला कि विभाग द्वारा राज्य में पर्यटन की विकास के लिए 160 परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ₹ 67.71 करोड़ की कुल राशि स्वीकृत किया गया (2003-09) निदेशक, पर्यटन विभाग द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोषागार से सम्पूर्ण राशि अग्रिम के रूप में आहरित (2003-09) कर लिया गया।

विभाग द्वारा खोले गये व्यक्तिगत जमा खाता में निधि को रखने के बजाये राशि को 2003-06 एवं 2006-10 की अवधि के दौरान क्रमशः बैंक खाता और जे.टी.डी.सी. के व्यक्तिगत लेजर खाता में अनियमित रूप से रखा गया जिसमें से 2003-10 के दौरान मात्र ₹ 17.41 करोड़ का व्यय किया गया।

अतः, उपरोक्त अंकित नियमों का उल्लंघन करते हुए ₹ 50.30 करोड़ (₹ 67.71 करोड़ घटाव ₹ 17.41 करोड़) की राशि को 2003 से सितम्बर 2010 तक जे.टी.डी.सी. के व्यक्तिगत लेजर खाता में निष्क्रिय रखा गया। विभाग द्वारा नियमों के अनुसार सरकारी खाता में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त पर अव्यहृत शेष जमा करने की कार्रवाई नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा में इसे बताये जाने पर, विभाग द्वारा कहा गया (अगस्त 2011) कि ₹ 45.07 करोड़ का अव्यहृत शेष कोषागार में जमा किया गया (अक्टूबर 2010) एवं विस्तृत आकस्मिकता विपत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखंड, राँची को प्रस्तुत किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा निधि के उपयोग की विफलता एवं तदन्तर, अव्यहृत शेष को कोषागार में वापस नहीं करने के कारण ₹ 50.30 करोड़ के सरकारी राशि का एक से छह वर्ष के अवधि के लिए अवरोधन हुआ एवं राज्य के वार्षिक कर्ज लेने के दर पर संगणित ₹ 9.94 करोड़ के व्याज की हानि हुई ***(परिशिष्ट 3.5)***। अलावे, राज्य में पर्यटन के प्रस्तावित विकास के लिए परियोजनाओं का अक्रियान्वयन हुआ।

लघु सिंचाई विभाग

3.4.2 निष्क्रिय व्यय

विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित किये बिना योजनाओं के प्रारंभ करने के परिणामस्वरूप ₹ 82.04 लाख का निष्क्रिय व्यय।

पश्चिम सिंहभूम (चाईबासा) जिले में 1,250 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से, 25 उद्वहन सिंचाई योजनाओं के पुनर्स्थापन के लिए ₹ 1.42 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन (सितम्बर 2007) संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा एवं ₹ एक करोड़ की तकनीकी स्वीकृति, अधीक्षक अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, चाईबासा द्वारा प्रदान की गई थी। प्रशासनिक अनुमोदन में यह कहा गया था कि योजनाओं का प्रारंभ तभी किया जाएगा जब विद्युत कार्य साथ-साथ प्रारंभ हो और योजनाओं का निष्पादन लाभूक समिति के माध्यम से होना चाहिए।

कार्यपालक अभियंता (का.अ.), लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2010) से उद्घटित हुआ कि एक करोड़ का एकरारनामा लाभुक समितियों के साथ निष्पादित (मार्च 2008) किया गया था। मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, राँची ने

योजनाओं को वर्ष 2007-08 तक पूर्ण करने के लिए का.अ. को निर्देश (फरवरी 2008) दिया था।

योजनाओं से सम्बन्धित सभी यांत्रिक, सिविल एवं आंतरिक विद्युत कार्य ₹ 82.04 लाख खर्च करने के बाद पूर्ण (मार्च 2009) किया गया। जबकि योजनायें विद्युत आपूर्ति न होने के कारण मई 2011 तक अक्रियाशील रहीं। यद्यपि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड ने विद्युत आपूर्ति हेतु ₹ 88.75 लाख के प्राक्कलन का.अ. के पास (दिसम्बर 2007 और जनवरी 2008) प्रस्तुत किया था, विभाग द्वारा निधि प्रदान करने, सभी चीजें जो दो वर्षों से निष्क्रिय थी को संगठित करने और विभागों के बीच तालमेल सम्बन्धी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, योजनायें मई 2011 तक अक्रियाशील रही।

इस प्रकार, विभाग द्वारा कार्य प्रारंभ करने के पूर्व विद्युत आपूर्ति के लिए निधि प्रदान करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 82.04 लाख का निष्क्रिय व्यय हुआ, इसके अलावे योजना से निर्दिष्ट लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और (नवम्बर 2011) कहा कि विद्युत आपूर्ति हेतु झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड से सम्पर्क किया गया था जिसका विभाग द्वारा अभी तक अनुपालन किया जाना बाकी था।

3.5 लगातार एवं बारंबार होने वाली अनियमिततायें

एक अनियमितता को लगातार कहा जाता है जब वह निरंतर प्रत्येक वर्ष होता है। यह बारंबार हो जाता है जब यह पूरे प्रणाली में व्याप्त हो जाता है। पूर्व के लेखापरीक्षा में इंगित करने के बावजूद, अनियमितताओं का पुनः होना कार्यपालिका के पक्ष में न केवल अगंभीरता को दर्शाता है बल्कि प्रभावी अनुश्रवण की कमी को भी दर्शाता है। बदले में यह नियम/विनियम का जानबूझ कर अनदेखी करने को प्रोत्साहित करता है तथा प्रशासनिक ढाँचा को कमजोर करने के परिणाम के रूप में आता है। महत्वपूर्ण मामले नीचे विमर्शित किये गये हैं:

पथ निर्माण एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

3.5.1 अधिक्य भुगतान

सरकार द्वारा संविदा की शर्तों में सरकारी निर्णयों का समाविष्ट कराने में विफल रहने के परिणामस्वरूप संवेदकों को ₹ 2.72 करोड़ का अधिक्य भुगतान ।

मंत्रिमंडल के अनुमोदन पर आधारित, झारखण्ड सरकार, पथ निर्माण विभाग, सभी कार्य विभागों के प्रधानों को एक संकल्प समर्पित (26 मार्च, 2002) किया। संकल्प के अनुसार, 10 लाख से अधिक के संविदा के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों की आपूर्ति विभाग द्वारा नहीं करके संवेदक द्वारा ही किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि कार्य में संवेदकों द्वारा आपूरित और उपयोगित, ढुलाई एवं संवेदक लाभ सहित निर्माण सामग्रियों जैसे अलकतरा, सीमेन्ट, स्टील, रॉड, पाईप एवं अन्य सामग्रियों की लागत, ढुलाई लागत एवं संवेदक के लाभ पर संवेदकों को निविदित परिमाण विपत्र (बी.ओ.क्यू.) के ऊपर प्रिमियम दरें (अनुमोदित प्रतिशत दरें) भुगतेय नहीं होंगी। इसका कारण था कि दर निर्धारण समिति द्वारा तैयार दरों की अनुसूची में सामग्रियों के लागत सहित प्रत्येक इकाई के लिए संवेदक के लाभ के रूप में 10 *प्रतिशत* सन्निहित था।

तीन प्रमंडलों[24] के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2010 और फरवरी,2011) से उद्घाटित हुआ कि कार्यपालक अभियंता द्वारा ₹ 64.96 करोड़ की कुल लागत पर नौ अनुबंध क्रियान्वित किए गए (2007-08 एवं 2009-10 के मध्य)। उपरोक्त अंकित सरकारी आदेश की उपेक्षा करते हुए 4.97 से 9.98 *प्रतिशत* तक के प्रिमियम दरों पर अनुबंध क्रियान्वित किये गये थे। नौ अनुबंध में से केवल एक अनुबंध[25] के मामले में यह अंकित था कि अलकतरा के लागत पर बी.ओ.क्यू. के ऊपर प्रिमियम दर का भुगतान नहीं किया जाएगा। संविदा/अनुबंधों में समुचित शर्तों के अभाव में सरकारी आदेश का स्पष्ट उल्लघंन करते हुए ₹ 30.73 करोड़[26] के ढुलाई एवं लाभ सहित उपयोगित सामग्रियों के लागत पर ₹ 2.72 करोड़ राशि का प्रिमियम दरों का भुगतान किया गया ***(परिशिष्ट- 3.6)***।

इस प्रकार विभाग द्वारा संविदा की शर्तों में सरकारी निर्णयों का समाविष्ट करने में विफलता के परिणामस्वरूप संवेदकों को ₹ 2.72 करोड़ का अधिक्य भुगतान किया गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2011)। उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2011)।

---

[24] पथ निर्माण प्रमंडलें (प.नि.प्र.), गिरिडीह, दुमका एवं अभियंत्रण कोषांग, स्वास्थ्य, चिकित्सा,शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा ।

[25] प्र.नि.प्र.-गिरिडीह ।

[26] सामग्रियों की लागत (₹ 18.87 करोड़) + ढुलाई (₹ 9.66 करोड़) + संवेदक के लाभ (₹ 2.20करोड़)